

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 685वीं बैठक दिनांक 04/10/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 9770/2023 Shri Sukumar Kaliyaperumal, GM, M/s Standard Surfacts NTS Ltd., 8/15, Arya Nagar, Kanpur (UP)-208002 Prior Environment Clearance for Capacity expansion of 44490 TPA (Existing 12250 TPA and proposed 32240 TPA) and diversification in manufacturing of Sulfonated Product at Plot No. 24A, Mandideep Industrial Area, Tehsil-Gauharganj, District-Raisen (MP), Category 5(f), EIA Presentation.**

This is case of Prior Environment Clearance for Capacity expansion of 44490 TPA (Existing 12250 TPA and proposed 32240 TPA) and diversification in manufacturing of Sulfonated Product at Plot No. 24A, Mandideep Industrial Area, Tehsil-Gauharganj, District-Raisen (MP).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 634th SEAC dated 07/04/2020 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report on Parivesh portal which was forwarded through SEIAA to SEAC for appraisal.

The Salient features of the project:

1.	Online Proposal No	SIA/MP/IND3/421221/2023.
2.	Proposal /Activity Name	Shri Sukumar Kaliyaperumal, GM, M/s Standard Surfacts NTS Ltd., 8/15, Arya Nagar, Kanpur (UP)-208002 , Production Capacity - 195MT/ Year. Cat.-5(f) Synthetic organic chemicals industry.
3.	Location of Project	Prior Environment Clearance for Capacity Expansion of 44490 TPA (Existing

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

		12250 TPA and proposed 32240 TPA) and diversification in manufacturing of Sulfonated Product at Plot No. 24A, Mandideep Industrial Area, Tehsil-Gauharganj, District-Raisen (MP) [421221]
4.	ToR details	ToR Recommended in 634 th SEAC Meeting dated 07/04/2023.
5.	Project Cost	1524 Lakhs.
6.	Declaration	No Construction (Expansion Case) letter Submitted by PP letter dated 10/02/2023.
7.	<p>Description of Project: The project involves the production of various types of sulfonated products with proposed expanded capacity of 44490 TPA (Existing 12250 TPA and proposed 32240 TPA). The Manufacturing area involves Multi Tube Reactor, Annual Falling Film reactor, Neutralization Skid, Hydrolyzer, Agitated Thin Film Dryer, Filters, Air Drying Plant, Spray Dryer Plant (750 Kg/hr water evaporation rate), Raw material transfer pumps, Product transfer pumps, Tanks (250,150,100,50,30kl), Boiler, Cooling Tower, Waste Heat Boiler, Air Pollution Control Devices, ETP, and RO etc., Facilities like administrative office, parking and greenbelt/plantation also are also available and being further developed.</p>	
8.	Lat./Long details	
9.	Undertaking/Affidavit	There is no Construction project site letter submitted dated 10/02/2023. Pg-1.
10.	EC Status (Fresh or Exp.)	Expansion Case.
11.	Proposed ToR	Submitted by PP.
12.	Production Capacity	(Existing 12250 TPA and proposed 32240 TPA)
13.	CGWA / Gram Sabha NOC	from MPIDC letter No. 8771 date 28/12/2022. (2.00 lakh liter/Year).
14.	Water requirement Details	(2.00 lakh liter/Year).
Documentary Details		
1	DG Set details	300KVA and 1200KVA.
1	Env. Con.	Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.) Valid up to 22-03-23.
1	CTO/CTE	Outward No:113901,01/11/2021 Water/ Air Consent Validity 31.10.2023.
1	PFR	Ok
1	EMP	Plants.
2	Risc Assesment	Ok
2	MSDS	

The EIA was presented by PP Mr. Sukumar Kaliyaperumal, GM and their Environmental Consultant Mr. Umesh Mishra, M/s CSE, Bhopal, during presentation PP submitted that :

- M/s SSL is manufacturing sulfonated products like LABSA, with production capacity of **12250** TPA and intend to have expansion in production capacity of sulfonated products (Alpha Olefin Sulfonate (AOS), Sodium Lauryl Sulphate (SLS) ,Sodium Lauryl Ethoxy

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

Sulphate (SLES), Ammonium Lauryl Sulphate (ALS), Ammonium Lauryl ethoxy sulfate (ALES) & (Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA)) with the tune of **32240 TPA. Hence total Expansion in sulfonated products will be 12250 TPA to 44490 TPA**

- The Manufacturing area involves Multi Tube Reactor, Annual Falling Film reactor, Neutralization Skid, Hydrolyzer, Agitated Thin Film Dryer, Filters, Air Drying Plant, Spray Dryer Plant (750 Kg/hr water evaporation rate), Raw material transfer pumps, Product transfer pumps, Tanks (250, 150, 100, 50, 30kl), Boiler, Cooling Tower, Waste Heat Boiler, Air Pollution Control Devices, ETP, and RO etc., Facilities like administrative office, parking and greenbelt/plantation also are also available and being further developed.
- Existing premises has sufficient land i.e. 11891.59 sqmt and no additional land is required. The site is located in the Industrial Area
- The existing fixed cost of the project is INR 22.88 Crore as per the company gross book value after expansion total capital cost is 46.3 Crore.
- Major consumers are in the vicinity of the site, viz. Hindustan Unilever, Procter & Gamble, Unitop Chemicals, Indoamine, Karnataka soaps etc.
- Approx. 164.05 KLD water will be required after expansion and sourced from AKVN. Total cumulative waste water generation of 11.75 KLD and will be treated in ETP of 50 KLD, RO of 48 KLD, MEE of 5 KLD, ATFD of 2.16 KLD, -. The treated water will be used for cooling towers, floor washing and gardening/green belt.
- Solid waste generated during the manufacturing process and sludge from waste water treatment process will be disposed at authorized TSDF facility, as per Hazardous and Other Waste (Management & Trans-boundary Movement) Rules, 2008 (Amendment 2016). M/s SSL will take expanded authorization Under Hazardous Waste (Management, Handling & Trans-boundary Movement), Rules.
- Total Power requirement of 1500KVA will be sourced from existing line of 'Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company'. The company is already authorized to use power load of 300 KVA. In case of power failure, D.G. set (750KVA and 1010 KVA) will be used as a backup power source.
- The M/s SSL is having existing workers 41 number and will have total manpower of approx. 71 no. after expansion and are/will be from Mandideep and nearby villages/area and therefore no residential planning has been incorporated.
- The site is located in the Industrial Area.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

- All communication & transportation facilities for procurement of Raw Materials and supply of Finished Products are available at the site.
- Ample availability of major resources like Manpower, Water, Electricity, etc
- The site is locationally placed and well-connected to all over the country,

Salient Features of Existing and Proposed Project			
Particulate	Existing	Proposed	Total
Capacity	12250MTPA of sulfonated products.	32240 MTPA of sulfonated products	44490 MTPA of sulfonated and specialty chemical products
Estimated Project Cost	22.88 crore	23.42 crore	Total cost – 46.3 crore
Land	11891.59SqM	Remain same	Remain same
Total Water Consumption	Existing 41.90 KLD	Proposed :122.15 KLD	(Total – 164.05 KLD)
Source of Water Supply	Through AKVN Supply	Through AKVN Supply	Through AKVN Supply
Waste Water Generation	11.75 KLD	18.5 KLD	30.25 KLD
Treatment Facility	Existing: ETP Capacity- 25 KLD. The available facilities are adequate for proposed expansion products.	ETP Capacity- 50 KLD, RO: 48KLD and MEE- 5 KLD ATFD 2.16 KLD, rest the available facilities are adequate for proposed expansion products.	ETP Capacity- 50 KLD, RO: 48KLD and MEE- 5 KLD, ATFD 2.16 KLD, rest the available facilities are adequate for proposed expansion products.
Source of power supply	Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company		
Power Requirement	Existing : 300 KVA (existing)	Proposed :1200 KVA	Total – 1500KVA
Fuel Options	In Existing facility : Fuel for Boiler is coal/bio coal and HSD for DG sets	For Proposed : Coal/ CNG	In proposed facility : Fuel for Boiler is coal/bio coal/ CNG and HSD for DG sets
Major Equipments	Multi Tube Reactor, Annular Falling Film Reactor, Neutralization	Multi Tube Reactor, Annular Falling Film Reactor, Neutralization	Multi Tube Reactor, Annular Falling Film Reactor, Neutralization

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

	Skid, Hydrolyzer, Filters, Air Drying Plant, Spray dryer Plant, Waste Heat Boiler, Cooling Tower, Air Pollution Control Devices, etc.	Skid, Hydrolyzer, Filters, Air Drying Plant, Waste Heat Boiler, Cooling Tower, Air Pollution Control Devices	Skid, Hydrolyzer, Filters, Air Drying Plant, Waste Heat Boiler, Cooling Tower, Air Pollution Control Devices,,
Green Belt	2362 SqMtr	2243 sq mtrs	4605 sq mtrs
Employment generation	41	30	Total : 71
Capital cost of environment protection measures	10.53 Lacs	28.63 +100* (*for APCD/ ETP/ STP/ RO/ MESS/ MES) = 128.63	Total : 138.86
Recurring cost of environment protection measures	2 Lacs	47.57 @ 48 (This cost does not includes the O&M cost of Air Pollution Control system, ETP, MEE, Incinerator, Green, Rain water Harvesting which is about 24 lacs per annum)	Total : 50 lacs This cost does not includes the O&M cost of Air Pollution Control system, ETP, MEE, Incinerator, Green, Rain water Harvesting which is about 24 lacs per annum)
Fund for CER activities	Existing: 8 Lac	Proposed: 20 Lacs	

List of Products

List of Existing Products With Capacities		
1	LABSA	12250 Mt/year

List of Existing and Proposed Products With Capacities			
Sr. No.	Name of proposed Product	Quantity in TPA	Major uses/end use
1	LABSA (Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid)	32240 (Either any one or combined)	LABSA is a significant ingredient in the manufacturing of washing, detergent, and cleaning powders, as well as detergent cake, liquid and oil soaps, scouring bars, and a variety of anionic

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

			specialty formulations.
2	Alfa Olefin Sulphonate (AOS)		Widely used in shampoos and bath products
3	Sodium Lauryl sulfate (SLS) Sodium Coco Sulfate (SCS)		Commonly used as an emulsifying cleaning agent in household cleaning products.
4	Sodium Lauryl Ether sulfate (SLES)		Widely used in liquid detergent, Such as dish washing, Shampoo, shower gel, soap and other cleaning compound cosmetic products.
5	Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)	(Either any one or combined)	widely used surfactant in shampoos, bath products, hair colorings, facial makeup, deodorants, perfumes, and shaving preparations;
6	Ammonium Lauryl Ether Sulfate (ALES)		widely used surfactant in shampoos, bath products, hair colorings, facial makeup, deodorants, perfumes, and shaving preparations;
Intermittent Products.			
7	Sulphuric Acid	107 MT	Manufacture of fertilizers, pigments, dyes, drugs, explosives, detergents, and inorganic salts and acids, as well as in petroleum refining and metallurgical processes.

Types of Products	Capacity, Mt Per Year			
	Existing	Additional	Tons/Year	Total
B.) Speciality Surfactants				
Coco amido Propyl Betaine (CAPB 30% on Cocoyl)	Nil	Nil	27000	30000 (Either Any One or Combined)
Ethylene Glycol Mono Stearate	Nil	Nil	500	
Ethylene Glycol Di- Stearate	Nil	Nil	500	
Di Decyl Methyl Ammonium Chloride (DDAC)	Nil	Nil	2000	
C.) Mild Surfactants	Existing	Total	Tons/Year	Total
Sodium Lauryl Sarcosinate(30% solution)	Nil	Nil	6000	Maximum 18000

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

Sodium Lauryl (or Cocoyl) Glycinate (30% solution)	Nil	Nil	6000	Mt/year.
Sodium Cocoyl Isothionate (85%) Flakes or needles	Nil	Nil	5000	
Taurate	Nil	Nil	5000	
Glutamate	Nil	Nil	5000	
D.)Sun Screen Products	Existing	Total		Maximum 2000 Mt/year.
Avobenzone	Nil	Nil	1000	
Octocylene	Nil	Nil	1000	
Benzophenon 3	Nil	Nil	1000	
Benzophenon 4	Nil	Nil	1000	

Land Use Pattern

Particulate	Existing Area in Sq Mt	Proposed Area in Sq Mt
Built up Area	2261	3017
Raw Material Storage	876	735
Internal road	2831	2140
Green Belt	2362	4605
Open Land	3561.59	1304.59
Total area	11891.59	

Air Pollution control Measures

- Unit has proposed additional boiler of 1 TPH, initially bio-briquette was proposed as fuel option but to reduce the level of particulate matter, the CNG will be used as fuel in the proposed boiler of 1 TPH as per the committee's directions.
- Paved internal road and paved dyke arrangement shall be provided to reduce the fugitive emission.
- As per MoEF&CC guideline 2500 trees per hectare is required however as per guidance of SEAC, unit is proposed 5428 trees per hectare. over 39 % of the land through Miyawaki Technology which will further reduce the level of fugitive and source emission.
- Presently Sulphur is being kept in open area . It is proposed to store in covered shed which will be insulated by rock wools so that emission of SO₂ will be reduced by atmospheric reaction.
- Provision of peripheral green belt around Sulphur Storage area with SO₂ absorbing species.
- Regular water spraying on daily basis shall be done to prevent the fugitive emission for reduction in level of particulate matter

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

- Bag filter will be provided with the existing and proposed boiler of 0.6 and 1 TPH. Stack emission of existing boiler shall be regularly monitored.
- Regular monitoring of the stack emission of existing scrubber shall be continued for better control of the emission.
- Better process control shall also help to keep the emission within the limit
- Company will installed Electrostatic Precipitator (ESP) to take care of acid mist.
- Company will installed Alkali scrubbers to take care of trace quantities of SO₂/ SO₃.
- Company will provide Process Stacks having 30 meter height to discharge Process Air containing minimal traces of SO₂ and SO₃.
- Routine Environmental Monitoring is carried out on quarterly basis to ensure compliance to PCB norms.
- Company will install Pressure operated Condensate Recovery Units & reuse at least 50% of Steam Condensate
- Regular monitoring will be done of piping and fittings for checking of any leakages.
- Good housekeeping maintained in the plant.

Water Consumption Aspect

For Existing Production of 12250 TPA

Total Fresh Water Consumption including domestic consumption after recycle = : 34.05 KLD
= 34050 Lit

Water consumption per tonne of Production = 2.779 @ 2.78 lit per tonne of production

For Proposed Production of 32240 TPA

Total Fresh Water Consumption including domestic consumption after recycle = : 93.75 KLD
= 93750 Lit

Water consumption per tonne of Production = 2.91 lit per tonne of production

For Total Production of 44490 TPA after expansion

Total Fresh Water Consumption including domestic consumption after recycle = : 128.25 KLD
= 128250 Lit

Water consumption per tonne of Production = 2.88 lit per tonne of production

Increase of only 0.10 lit per tonne of production which insignificant increase and amounting only 3 % increase in overall water consumption.

Waste water Generation Aspect

For Existing Production of 12250 TPA

Total waste water generation including domestic waste water = 11.75 KLD = 11750 lit

Waste water generation per tonne of Production = 0.96 lit per tonne of production

For Proposed Production of 32240 TPA

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

Total waste water generation including domestic waste water = 18.5 KLD = 18500 lit
Waste water generation per tonne of Production = 0.57 lit per tonne of production

For Total Production of 44490 TPA after expansion

Total waste water generation including domestic waste water = 30.25 KLD = 30250 lit
Waste water generation per tonne of Production = 0.68 lit per tonne of production

29.17 % decrease in waste water generation and unit will be ZLD by providing MEE and ATFD

- Storm water drainage system has been developed for existing. The drains shall be maintained properly to prevent the flow of silt and other contaminant outside of the site
- The capacity of existing ETP is 25KLD and blow downs from cooling towers, boiler, Softener regeneration, from sulphonation plant is approx 6.75 KL is coming to existing ETP.
- The water requirement for the existing project is **41.9KL** per day which will be increased to approx. 122.15 KLD after expansion . After recycling and reuse, total fresh water requirement for the project after expansion will be approx. 93.75 KLD, which will be sourced from AKVN.
- Total waste water generation from domestic, utility, scrubber and washing is estimated as **11.75KLD**. Total cumulative waste water generation after expansion is 18.5KLD will be treated in ETP of **50KL/day**.
- SSL Have installed ETP, MES, ATFD, Scrubber and RO with treatment capacity **50 KL/Day** .The treated water will be used for cooling towers, other utilities floor washing and gardening/green belt
- The capacity of Proposed ETP is 50 KLD and blow downs from cooling towers, boiler, process, Vacuum pump, floor washing form specialty chemical plant is approx 21.6 KL is coming to proposed ETP. The treated water from ETP (21 KLD) is passed through the RO system and 18.5 (88%) KLD of permeate is recycled back in to cooling process whereas remaining rejects is treated with MEE system. The scrubbed water (8.650 KLD) and reject from RO water (3.1KLD) directly goes to MEE (KLD) followed by ATFD (3.1 KLD).
- High TDS Water (Alkali Scrubber) to be converted to Na_2SO_4 (15%) and reused in process.
- Utilization of treated domestic wastewater in greenbelt development and dust suppression shall be continuing. However further use in toilet flushing may also be explored for zero discharge condition.
- A drain along the boundary wall shall be made, which will be connected proposed settling tank/water reservoir to protect the flow of contaminant towards nearby river
- Being a chemical based plant, it is proposed to harvest the rain water only form the building roof top.
- Company installed Pressure operated Condensate Recovery Units & reuse at least 50% of Steam Condensate
- Substantial use of recycled water is proposed which reduces the fresh water demand.
- No treated / untreated effluent would be discharged on land in Industrial premises or study area.
- There is substantial use of recycled water which reduces the fresh water demand.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

Existing and Proposed Green Belt Plan

Existing and Proposed Green Belt Plan		
Year	Area sq mt	Number of Plants
Existing	2362 sq mt	256 + 330 = 586
1 st Year	2243 sqm trs	2500
Total	4605 Sq Mt	3086

Proposed Plantation Detail

Proposed Plantation Detail	
Description	Qty
Inside and outside of Boundary wall	Neem, Bargad, Arjun, Ashok, Anjan ,Karanj Jack Fruit,
Approach Road , internal road and Parking	Putran Jeeva , Arjun, Karanj Amaltash , Awla
Around Storage area ETP and MEE Plant	Ashoka Trees, Kank Champa, Rat Rani , Anjan
Around water storage area, Pump House	Moleshree , Putran Jeeva , Karanj, Khamer , Awla
	TOTAL = 2500 number
<p>Total 4605 sq mtrs of area (39%) will be developed with 2500 number of trees which is 5428 trees per hact. The above shall be achieved through Miyawaki Plantation technique in collaboration with forest department/ Valmi institute of Bhopal (MP)</p>	

PROPOSED BUDGET FOR CER

		Budget in lacs				
SN	Need Identified For CER Plan	Activities	Ist Year	IInd year	IIIRD Year	Total in lacs)
	Skill Development Programmes for youths	Facilitating self-employment skill generation vocational training programmes for creating better employment ventures through inducing skill among the youths by the following manner :				

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

1		Solar Mitra training and training on agro waste utilization shall facilitated through Vidyarthi Kalyan Nyas and other Government Institutions .	7	3	-	10
2		Mechanical and Electrical Trade raining shall be facilitated through AMPRI, Bhopal or in association with ITI, Mandideep .	2	2	1	5.0
3		Training on operation, maintenance and development of software at MANIT Bhopal	2	2	1	5.0
	Total					20

After deliberations, the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for capacity expansion in manufacturing of sulfonated by addition of new products **from 12250 TPA to 44490 TPA at Plot No. 24 A Mandideep Industrial Area Dist Raisen (MP)** under . Cat. 5(f) Synthetic Organic Chemicals Industry (Bulk Drug) Project subject to the following special conditions:

(A) Statutory compliance:

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

1. **CNG shall be used as fuel in the additional Boiler (1 TPH).**
2. **Fogger shall be installed so as to ensure zero incremental value in PM_{2.5}.**

3. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to MPPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
4. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
5. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. Sulphur content should not exceed 0.5% in the coal for use in coal fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (as applicable). The gaseous emissions from the boiler, DG set and scrubber shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines.
6. Storage of raw materials, coal etc shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
7. The DG sets (DG Set* - 750KVA and 1010 KVA) shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
8. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
9. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
2. As already committed by the project proponent Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises.
3. The capacity of Proposed ETP is 50 KLD and blow downs from cooling towers, boiler, process, Vacuum pump, floor washing form specialty chemical plant is

approx 21.6 KL is coming to proposed ETP. The treated water from ETP (21 KLD) is passed through the RO system and 18.5 (88%) KLD of permeate is recycled back in to cooling process whereas remaining rejects is treated with MEE system. The scrubbed water (8.650 KLD) and reject from RO water (3.1KLD) directly goes to MEE (KLD) followed by ATFD (3.1 KLD).

4. Adhere to 'Zero Liquid Discharge and No industrial effluent from the unit shall be discharged outside the plant premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
5. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
6. The water requirement for the existing project is 41.9KL per day which will be increased to approx. 122.15 KLD after expansion. After recycling and reuse, total fresh water requirement for the project after expansion will be approx. 93.75 KLD, which will be sourced from AKVN.
7. .
8. .Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
9. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.
10. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG ((DG Set* -750KVA and 1010 KVA) set for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
2. The total power requirements for project will be 1500 KVA . The power will be supplied by Madhya Pradesh Electricity Board.
3. The coal consumption will be **1771TPA** .

(F) Waste Management

1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
2. Hazardous wastes such as spent solvents, organic incinerable wastes/residues, used filter bags, packaging materials, rejected/expired raw materials and off specification/rejected finished products from the manufacturing plants shall be directly sent to CTSDF, Dhar.
3. The Fly ash generated if any, from boilers shall be stored in silos and disposed of through cement manufacturers by bulkers / closed containers and should comply with Fly Ash Utilization Notification, 1999 and as amended subsequently.
4. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
5. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate fire fighting systems should be provided for the storage area.
6. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
7. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
8. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
9. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

10. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
11. Proper fire fighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
12. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
13. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
14. Process organic residue and spent carbon, if any, shall be sent to cement industries. ETP sludge, process inorganic & evaporation salt shall be disposed off to the TSDF.
15. The company shall undertake waste minimization measures as below:
 - a. Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.
 - b. Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.
 - c. Use of automated filling to minimize spillage.
 - d. Use of Close Feed system into batch reactors.
 - e. Venting equipment through vapour recovery system.
 - f. Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce wastewater generation.

(A) Green Belt

1. The green belt of 5m width shall be developed over 4605 sq. meter within plant with 2500 number of trees by Miyawaki - (Dense Plantation) Technology in the project area, mainly along the plant periphery and the space available within the premises, in downward wind direction and along road sides/storage area etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.
2. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature.

Proposed Plantation Detail	
Description	Qty
Inside and outside of Boundary wall	Neem, Bargad, Arjun, Ashok, Anjan ,Karanj Jack

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

	Fruit, Bamboo etc.
Approach Road , internal road and Parking	Putran Jeeva , Arjun, Karanj Amaltash , Awla etc.
Around Storage area ETP and MEE Plant	Ashoka Trees, Kank Champa, Rat Rani , Anjan, Kusum, etc.
Around water storage area, Pump House	Molshree , Putran Jeeva , Karanj, Khamer , Kusum etc.
	TOTAL = 2500 number
Total 4605 sq mtrs of area (39%) will be developed with 2500 number of trees which is 5428 trees per hact. The above shall be achieved through Miyawaki - (Dense Plantation) Technology in collaboration with forest department/ WALMI/ other recognized institute of Bhopal (MP)	

(B) Safety, Public hearing and Human health issues

1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Fire fighting system shall be as per the norms.
3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(C) EMP & Corporate Environment Responsibility

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

- The proposed EMP cost is Rs. 128.63 Lakhs as capital and Rs 48.0 Lacs + Rs 24 Lacs = 72.0 lakhs as recurring cost.
- Under CER activity, Rs. 20.0 Lakhs has proposed for different activities. PP shall comply with the commitment as follows

PROPOSED BUDGET FOR CER						
			Budget in lacs			
SN	Need Identified For CER Plan	Activities	Ist Year	IInd year	IIIRD Year	Total in lacs)
	Skill Development Programmes for youths	Facilitating self-employment skill generation vocational training programmes for creating better employment ventures through inducing skill among the youths by the following manner :				
1		Solar Mitra training and training on agro waste utilization shall facilitated through Vidyarthi Kalyan Nyas and other Government Institutions .	7	3	-	10
2		Mechanical and Electrical Trade raining shall be facilitated through AMPRI, Bhopal or in association with ITI, Mandideep .	2	2	1	5.0
3		Training on operation, maintenance and development of software at MANIT Bhopal	2	2	1	5.0
		Total				20.0

- The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

5. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
6. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
7. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

2. Case No -10418/2023 Shri Janmejay Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Rampur-Kamlapura-Mahur Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2,000 cum per year) (Khasra No. 978), Village-Mahar, Tehsil-Guna, District-Guna (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री जन्मेजय सिंग, श्री दीपक सक्सेना खनिज अधिकारी, जिला – गुना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – गुना के अनुमोदित डी.एस. आर के पृष्ठ क्रमांक 08 एवं सरल क्रमांक 05 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान सिंध नदी पर ग्राम रमपुरा कमलापुर-माहुर (खोंकर) के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि खदान के पास दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक रोड ब्रिज डाउन-स्ट्रीम में स्थित है। अतः संरचना देखते हुये परियोजना प्रस्तावक द्वारा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक का प्रस्ताव सरफेस मेप में किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी, अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 2000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 0.97 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 10,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम रामपुरा-कमलापुर-माहुर के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	10000

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास एवं स्थानीय घास	150
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	100
		6 पंक्ति - गूल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	50
2	ग्राम- रामपुरा-कमलापुर-माहुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1200
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।		
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।		
टीप :	वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।		

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. **Case No -10419/2023 Shri Janmejy Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Berkhedhi (Ukawad) Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2,000 cum per year) (Khasra No. 251), Village-Berkheda Hat, Tehsil-Aron, District-Guna (MP) [431859].**

परियोजना प्रस्तावक श्री जन्मेजय सिंग, श्री दीपक सक्सेना खनिज अधिकारी, जिला - गुना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दिनांक

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – गुना के अनुमोदित डी.एस. आर के पृष्ठ क्रमांक 08 एवं सरल क्रमांक 04 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान सिंध नदी पर ग्राम बेरखेड़ी (उकावद) के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित मार्किंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 2000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 2.75 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 0.96 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 10,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बेरखेड़ी (उकावद) के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	10000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास एवं स्थानीय घास	150
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	100
		6 पंक्ति - गूल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर,	50

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

		कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	ग्राम— बेरखेड़ी (उकावद) के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No -10417/2023 Shri Janmejy Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Laharghat (Khokar) Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (10,000 cum per year) (Khasra No. 106, 107), Village-Lahar Ghat, Tehsil-Guna, District-Guna (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री जन्मेजय सिंग, श्री दीपक सक्सेना खनिज अधिकारी, जिला – गुना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – गुना के अनुमोदित डी.एस. आर के पृष्ठ क्रमांक 09 एवं सरल क्रमांक 08 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान सिंध नदी पर ग्राम लहरघाट (खोंकर) के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में लगभग 119 मी

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

पर एक ब्रिज है जो मेजर ब्रिज है **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 10000 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित है :-

1. इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.04 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.00 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 15,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम लहरघाट (खोंकर) के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	15000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास एवं स्थानीय घास	150
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	100
		6 पंक्ति - गूगल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	50
2	ग्राम- लहरघाट (खोंकर) के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन संबंधित विभाग से तकनीकी प्रतिवेदन सिया को प्राप्त होने पर, सिया द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

5. Case No 10426/2023 Shri Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक संभागीय कार्यालय(भोपाल, 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village-Bawadia Kalan, VIDISHA (M.P.) Prior Environment Clearance for Bairagarh Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (12600 cum per year) (Khasra No. 273), Village-Bairagarh, Tehsil-Lateri, District-Vidisha (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 03/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र बाजपेयी के साथ श्री पंकज वानखेडे, खनिज निरीक्षक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक)संभागीय कार्यालय विदिशा, 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	273(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare
स्थल	VILLAGE- BAIRAGARH, TEHSIL-LATERI, DISTRICT- VIDISHA (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान टेम नदी में स्थित है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-12,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-12,600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 703 दिनांक 24/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 703 दिनांक 24/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 703 दिनांक 24/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बैरागढ़ जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-37 के सरल क्रमांक-16	

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेणशियल-12,600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,600 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।
--	---

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र अप स्ट्रीम पर एक रपटा और डाउन स्टीम पर एक स्टाप डेम है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गार्डलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बैक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 12,600 घनमीटर/वर्ष हेतु अनुशंसित है :-

1. इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.54 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.39 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
-----------------------------------	---------------

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, मुंडेला के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	39,000
---	--------

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर तट से-1) 3 पंक्तियों में(करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	524
2	ग्राम बैरागढ़ के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1876

✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
टीप :	वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन संबंधित विभाग से तकनीकी प्रतिवेदन सिया को प्राप्त होने पर, सिया द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

6. **Case No -10415/2023 Shri Janmejy Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Deomadi Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (10,000 cum per year) (Khasra No. 324), Village-Khamkhera, Tehsil-Aron, District-Guna (MP)**

परियोजना प्रस्तावक श्री जन्मेजय सिंग, श्री दीपक सक्सेना खनिज अधिकारी, जिला – गुना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – गुना के अनुमोदित डी.एस.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

आर के पृष्ठ क्रमांक 09 एवं सरल क्रमांक 11 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान सिंध नदी पर ग्राम खामखेड़ा के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मैप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.93 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.00 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 15,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम देवमड़ी के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	15000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास एवं स्थानीय घास	150
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	100
		6 पंक्ति - गूल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य	50

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

		फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	ग्राम— देवमड़ी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. Case No -10416/2023 Shri Janmejy Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dhimaryai Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2,000 cum per year) (Khasra No. 202, 196), Village-Dhimrai, Tehsil-Aron, District-Guna (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री जन्मेजय सिंग, श्री दीपक सक्सेना खनिज अधिकारी, जिला – गुना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – गुना के अनुमोदित डी.एस. आर के पृष्ठ क्रमांक 09 एवं सरल क्रमांक 08 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान सिंध नदी पर ग्राम ढिमरयाई के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 2000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 2.82 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 0.96 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 10,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम ढिमरयाई के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी ।	10000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास एवं स्थानीय घास	150
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	100
		6 पंक्ति - गूल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	50
2	ग्राम- ढिमरयाई के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पोधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No 10427/2023 Shri Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक संभागीय कार्यालय(भोपाल, 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village-Bawadia Kalan, VIDISHA (M.P.) Prior Environment Clearance for Johad Sand Quarry in an area of 1.045 ha. (9000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Johad, Tehsil-Nateran, District-Vidisha (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 03/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र बाजपेयी के साथ श्री पंकज वानखेडे, खनिज निरीक्षक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इन्वायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक)संभागीय कार्यालय विदिशा, 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, Vidisha (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.045 hectare
स्थल	Village Johad, Tehsil Nateran, District Vidisha. (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सगड़ नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-9,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-9,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 705 दिनांक 24/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र	

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

की अनापत्ति	क्रमांक 705 दिनांक 24/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 705 दिनांक 24/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जोहड़ जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-7 दिनांक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-37 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल-9,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-9,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रू. 3.00 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.62 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.35 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए गवर्नमेंट ह स विद्यालय ,जोहड़ के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	35,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1254 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर तट से -1) 3 पंक्तियों में	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	300
2	ग्राम जोहद के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	954
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No 10405/23 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Pareghat-A Sand Quarry in an area of 3.50 ha. (12600 cum per year) (Khasra No. 180), Village- Pareghat, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री Shri JITENDRA CHANDEL श्री रविन्द्र परमार, खनिज अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	180 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.50 hectare.
स्थल	Village- Pareghat-1, Tehsil- Sausar, District- Chhindwara, (M.P.)	

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कन्हान नदी में स्थित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान खदान क्षेत्र में जल भराव देखा गया जिसके संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च, अप्रैल एवं मई माह में नदी में पानी नहीं रहता है । जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-12,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-12,600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 677 दिनांक 14/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 677 दिनांक 14/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 677 दिनांक 14/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मालेगांव जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-9 दिनांक 01/07/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-45 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-23,100 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-12,600 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-12,600 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 2.01 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.19 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students library of Govt. Middle School, Pareghat	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet gap in a row	700
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	900
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

10. **Case No 10421/23 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Bijorifulla Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (1200 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Bijori Fulla, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री Shri JITENDRA CHANDEL श्री रविन्द्र परमार, खनिज अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare
स्थल	Village- Bijorifulla, Tehsil- Parasia, District- Chhindwara (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1/बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पेंच नदी में स्थित है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-1200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1200 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 335 दिनांक 03/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 335 दिनांक 03/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र	

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

अनापत्ति	क्रमांक 335 दिनांक 03/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में बिजोरीफुल्ला बस्ती एवं प्राथमिक स्कूल स्थित है, शेष अन्य नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत फुटेरा जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-42 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-1200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1200 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-1200 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.19 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.05 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Bijorifulla	5,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-foot gap in a row	400
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	600
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस			

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No 10420/23 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Phutera Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (4440 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Phutera, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री **Shri JITENDRA CHANDEL** श्री रविन्द्र परमार, खनिज अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Phutera, Tehsil- Parasia, District- Chhindwara (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पेंच नदी नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-4,440 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-4,440 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र	

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

में अन्य खदानें	क्रमांक 333 दिनांक 03/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 333 दिनांक 03/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 333 दिनांक 03/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत फुटेरा जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-43 के सरल क्रमांक-12 पर दर्ज है, जिसमें माईनेबल मिनरल पोर्टेंशियल-4440 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4,440 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 546 मी. पर मेजर ब्रिज है जो मेजर रोड ब्रिज है Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर जिससे 01 कि.मी लेने पर माइनेबल एरिया 0.63 इतना बचता है तथा उपलब्ध माईनेबल एरिया के अनुसार रेत के उत्पादन 1400घनमीटर की अनुशंसा की जाती है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि पूर्व में प्रकरण क्रमांक 7878/2020 इसी प्रकरण में 5000 घनमीटर की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति सिया बैठक क्रमांक 647वीं दिनांक 07/12/2020 को जारी करने का निर्णय लिया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-1400मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.27 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.25 लाख प्रति वर्ष

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.05 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt. Middle School, Phutera	6,500

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet gap in a row	400
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	900

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

12. **Case No 9546/2022 M/s Deep Shree Infra Private Limited, Director Shri Liladhar Flate no. 402, Sukhdham Apartment 16, Madhuvan Colony R.T.O. Road Indore (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone & M Sand Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone 12,000 m³/year, M-Sand 12,000 m³/year and OB 4042 m³/year) Khasra No. 33/1/4/3/1, Vill.-Rawad, Tehsil- Depalpur, District- Indore (M.P.). EIA Presentation.**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/10/23 को परियोजना प्रस्तावक लीलाधर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Liladhar Verma, Director, M/s DEEPSHREE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, Flate no. 402, Sukhdham Apartment 16, Madhuvan Colony R.T.O. Road Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	33/1/4/3/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village-Rawad, Tehsil- Depalpur, District- Indore (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1507 दिनांक 16/08/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
टॉर	समिति की पूर्व की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 को उत्पादन क्षमता Stone 12,000 m ³ /year, M-Sand 12,000 m ³ /year and OB 7 4042 m ³ /year के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर नया/क्षमता विस्तार	अनुमोदित खनन योजना अनुसार सिंगल रो-ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone 12,000 घनमीटर/वर्ष, M-Sand 12,000 घनमीटर/वर्ष and OB 4042 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone 12,000 घनमीटर/वर्ष, M-Sand 12,000 घनमीटर/वर्ष and OB 4042 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1855 दिनांक 26/09/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.460 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1855 दिनांक 26/09/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1855 दिनांक 26/09/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रावद जिला इंदौर के पत्र दिनांक 18/01/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर नियमानुसार खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-08 Nos Tree Felling - 05 Nos Additional tree to be planted -50 Nos
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड -150 मी. 50 मी. का शेड बेक प्रस्तावित किया है। पूर्व दिशा- अस्थायी शेड 70 मी.
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई में रोजगार, वृक्षारोपण, जल छिडकाव धूल की समस्या,, सड़क निर्माण, खदान के पास चादर लगवाए क्रेशर चलाने के बाद पानी का छिडकाव करवाये। इत्यादि आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-38 के सरल क्रमांक-8 पर दर्ज है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone 12,000 घनमीटर/वर्ष, M-Sand 12,000 घनमीटर/वर्ष और OB 4042 घनमीटर/वर्ष ।
2. प्रस्ताव अनुसार एम सेण्ड प्लांट/केशर लीज क्षेत्र में ही स्थापित किया जायेगा ।
3. प्रस्ताव अनुसार एम सेण्ड प्लांट/केशर में आधुनिक तकनीक के वायु प्रदूषण रोधी उपकरण स्थापित करने होंगे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.35 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.17 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पीने के पानी की सुविधा हेतु ग्राम रावद में हैंडपंप लगवाने साथ ही साथ हैंडपंप के चारो तरफ कंक्रीटिंग करवाकर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट की व्यवस्था करी जावेगी ।	1,00,000/-
ग्राम रावद के गाँव वासियों के लिए रोगी कल्याण समिति के कल्याण के लिए एवं सरंचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में 3 माह के अंदर ट्रांसफर कर दिया जावेगा	40,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4850 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 460 मीटर परिधि तक) पौधों की ऊंचाई : 2.5 फीट से 3 फीट	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू ,जंगल जलेबी , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि	450
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 160 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि ।	110
3	ग्राम बेतमा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवाए मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, आदि	60
4	ग्राम बेतमा में स्थित पुलिस स्टेशन में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, नीम, आदि	30
5	ग्राम रंगवासा स्थित शासकीय उच्चा	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा,	140

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

	विद्यालय में वृक्षारोपण	मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	
6	ग्राम रवाद स्थित शासकीय विद्यालय में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	60
7	आसपास के गांव में पौधे का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	4000
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			
कुल			4850

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No -10429/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Nawagaon Sand Quarry in an area of 4.973 ha. (89, 514 cum per year) (Khasra No. 1, 2, 3), Village-Nawagaon, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP)

दिनांक 04/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Harishankar Shukla उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रभात पट्टा, खनिज निरीक्षक, शहडोल समिति के समक्ष उपस्थित थे। परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – शहडोल की अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक 64 एवं सरल क्रमांक 48 पर विवरण दर्ज है ।

खदान चूंदी नदी पर ग्राम नवागांव के निकट 4.973 हे. क्षेत्रफल पर 89,514 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 89,514 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.97 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.67 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंदेला के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	1,00,000

- निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5970 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	1500
2	ग्राम नवागांव के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4470
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No -10431/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bhangjir Sand Mine in an area of 3.484 ha. (62,712 cum per year) (Khasra No. 22, 178), Village-Bhangjir, Tehsil-Jaisinghnagar, District-Shahdol (MP)

दिनांक 04/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Harishankar Shukla उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रभात पट्टा, खनिज निरीक्षक, शहडोल समिति के समक्ष उपस्थित थे। परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – शहडोल के अनुमोदित डी.एस.आर. के पृष्ठ क्रमांक 63 एवं सरल क्रमांक 42 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान लेडार नदी पर ग्राम भांगजीर के निकट 3.484 हे. क्षेत्रफल पर 62,712 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माइनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है।

समिति ने प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि:—

- माइनिंग इन्सपेक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि यह खदान प्रथम बार प्रस्तावित की गई है, तथा भौतिक रूप से इसका निरीक्षण नहीं किया गया है। गूगल ई-मेज के माध्यम से समिति द्वारा पाया गया कि खनन क्षेत्र के बड़े भाग में सघन वृक्ष आवरण है। अलग-अलग समय अंतराल की गूगल ईमेज में लीज क्षेत्र में अत्यंत कम मात्रा में रेत डिपोजिट भी देखा गया। डीएसआर में दर्शाई गई प्री- मानसून मात्रा 69680 घनमीटर तथा पोस्ट- मानसून में 104520 घनमीटर तथा प्री मानसून में रेत की गहराई 2 मी एवं पोस्ट मानसून में 03 मी बताई गई है, चूंकि यह खदान प्रथम बार चयनित की गई है, ऐसी स्थिति में पोस्ट मानसून एवं प्री मानसून डेटा तर्तसंगत परिलक्षित नहीं होता है।

परिक्षण उपरांत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि परियोजना प्रस्तावक रेत उपलब्धता के विषय में मानक प्रक्रिया अनुसार सर्वे के माध्यम से रेत का आंकलन कर समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

15. Case No -10430/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bhatigawan Khurd Sand Mine in an area of 4.80 ha. (86,400 cum per year) (Khasra No. 91), Village-Bhatigawan, Tehsil-Jaisinghnagar, District-Shahdol (MP)

दिनांक 04/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Harishankar Shukla उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रभात पट्टा, खनिज निरीक्षक, **शहडोल** समिति के समक्ष उपस्थित थे। परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – शहडोल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक 63 एवं सरल क्रमांक 40 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान चूंदी नदी पर ग्राम भटिगवां के निकट 4.80 हे. क्षेत्रफल पर 86,400 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि खदान के पास पूर्व दिशा में एक मध्यम आकार का रोड ब्रिज 573 मी. पर स्थित है। अतः संरचना देखते हुये परियोजना प्रस्तावक द्वारा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि. मी का सेट बैक देने पर समिति द्वारा संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से उक्त रेत की मात्रा को परिवर्तित किया जाकर खनन योग्य शेष बचे क्षेत्र के अनुसार मात्र 33,120 घन मी. उपलब्ध होगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया की पूर्व में इसी खदान को ई.सी 5901/2019 पत्र क्रमांक 5317 दिनांक 23/3/2020 क्षमता 72270 घन मी) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 33,120 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.29 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.81 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय मितौरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	1,00,000

- निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5760 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1से 3 पंक्तियों में(करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	760
2	ग्राम भाटीगवां खुर्द के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

16. Case No -10433/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bhursi Sand Mine in an area of 4.00 ha. (72,000 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Bhursi, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP) .

दिनांक 04/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Harishankar Shukla उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रभात पट्टा, खनिज निरीक्षक, शहडोल समिति के समक्ष उपस्थित थे। परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – शहडोल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक 64 एवं सरल क्रमांक 49 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान अखडाड नदी पर ग्राम भुरसी के निकट 4.00 हे. क्षेत्रफल पर 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में पश्चिम दिशा की ओर 53 मी का एक मध्यम आकार का ब्रिज है जो कि माईन से डाउन स्टीम की ओर है अतः संरचना देखते हुए परियोजना प्रस्तावक द्वारा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत कारण 250 मी का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर तथा मध्यम आकार होने के कारण 250 मी का सेट बेक दिया गया। ब्रिज होने की वजह से रेत खनन क्षेत्र कम हो गया है अतः समिति द्वारा संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से उक्त प्रस्तावित 72,000 घनमीटर मात्रा को परिवर्तित किया जाकर मात्र 67,500 घनमीटर की ही उत्पादन की अनुशंसा की जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 67,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.48 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.92 लाख प्रति वर्ष ।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय पलसौ के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	75,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	1500
2	ग्राम भुरसी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3300
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

17. Case No -10432/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Boddhia-1 Sand Quarry in an area of 4.50 ha. (81,000 cum per year) (Khasra No. 233), Village- Boddhia, Tehsil-Beohari, District-Shahdol (MP)

दिनांक 04/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Harishankar Shukla उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रभात पट्टा, खनिज निरीक्षक, शहडोल समिति के समक्ष उपस्थित थे। परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – शहडोल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक 63 एवं सरल क्रमांक 32 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान बनास नदी पर ग्राम बोडिडहा के निकट 4.50 हे. क्षेत्रफल पर 81,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 81,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.05 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.16 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चमराडोल के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	1,00,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	800
2	ग्राम बोद्दीहा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4600
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No 10428/2023 Shri Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक संभागीय कार्यालय(भोपाल, 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village-Bawadia Kalan, VIDISHA (M.P.) Prior Environment Clearance for Bothighat Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 82), Village-Bothighat, Tehsil-Kurwai, District-Vidisha (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 03/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र बाजपेयी के साथ श्री पंकज वानखेडे, खनिज निरीक्षक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक) संभागीय कार्यालय भोपाल 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, Vidisha (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल	82 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

(सरकारी / निजी)	
स्थल	Village- Bothighat, Tehsil- Kurwai, District- Vidisha (M.P.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सगड़ नदी में स्थित है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1311 दिनांक 05/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1311 दिनांक 05/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1311 दिनांक 05/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लचायरा जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-16 दिनांक 12/07/23 प्रस्तावित क्षेत्र में कोई रेत ओपिन स्थिति में नहीं है न ही मौके पर कोई खदान है । पूर्व में बीच नदी से पनडुब्बी द्वारा रेत का उत्खनन किया जाता रहा है, अतः ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना संभव नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-38 के सरल क्रमांक-07 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेणशियल-3,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

प्रस्तुतीकरण के दौरान खदान क्षेत्र में जल भराव देखा गया जिसके संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च, अप्रैल एवं मई माह में नदी में पानी नहीं रहता है। जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है। इस संबंध में खनिज निरीक्षक द्वारा पुष्टि की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-3,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 02.66 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.09 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए गवर्नमेंट प्राइमरी विद्यालय, बंदोरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

19. Case No 9656/2023 Shri Akash Rawat, Proprietor, M/s Rawat Minerals, R/o Purani Basti, Jalpa Devi Ward, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Malhan Dolomite Deposit Quarry in an area of 3.370 ha. (16854 tonne per annum and Saleable Waste – 6360 Cub per annum) (Khasra No. 116, 117, 118), Village-Malhan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP). EIA -Presentation.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Akash Rawat एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri AKASH RAWAT, Proprietor, Purani Basti, Jalpa Devi Ward, Katni, Dist. Katni (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	116, 117, 118 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड आदिवासी की है, जिसकी सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है) 3.370 hectare.
स्थल	Village Malhan, Tehsil- Badwara, District- Katni (M.P.)
लीज स्वीकृति	संचालक, (प्रशासन एवं खनिकर्म) भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 12138-39 दिनांक 08/09/22 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
टॉर	समिति की पूर्व की 624वीं बैठक दिनांक 26/02/23 को उत्पादन क्षमता Dolomite-16,854 tonne per annum and Saleable Waste-6360 Cub per annum के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा 16,854 tonne per annum and Saleable Waste – 6360 Cub per annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 16,854 tonne per annum and Saleable Waste – 6360 Cub per annum है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2902 दिनांक 21/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.05 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2902 दिनांक 21/12/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2902 दिनांक 21/12/22 अनुसार आवेदित क्षेत्र के दक्षिणी दिशा में 250 मीटर पर तालाब एवं पश्चिमी दिशा में लगभग 80 मीटर पर बरसाती नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरगवाँ नं०-2 जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-10 दिनांक 13/11/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed- 08 Tree Felling - 05 Additional tree to be planted -50
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	12 मी. पर हालेज रोड है। उत्तर दिशा- पक्का रोड- 150 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 50 मी. का सेटबैक प्रस्तावित है। दक्षिण दिशा- पूर्व दिशा- पक्का रोड- 380 मी. अस्थायी शेड- 70 मी. पश्चिम दिशा-
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुवाई में पीने के पानी की सुविधा क्रेशर चलने के बाद पानी का छिड़काव करवाए, क्रेशर प्लांट की जी आई शीट द्वारा कार्टेनिंग, धूल की समस्या, जल छिड़काव, वृक्षारोपण, इत्यादि आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-34 पर दर्ज है ।

प्रकरण के परिक्षण उपरांत समिति का मत है कि -

- खदान क्षेत्र के कुल रकबे में से कुछ भाग जनजाति समुदाय का है। उक्त जमीन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-स्वामी के साथ हुये सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि, जिलाध्यक्ष महोदय के स्तर पर इस आशय का परीक्षण भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत इस प्रकार के प्रकरणों में किये गये उपबंधो/प्रावधानो के अनुरूप किया जावे । खनन कार्य से प्रति एकड प्रति वर्ष समस्त

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

व्यय कम करने के पश्चात कुल शुद्ध आय कितनी होगी, एवं उसी के आधार पर लाभ हानि को देखते हुये भूमि धारक को देय राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए।

- जो वृक्ष कटेगें उनकी राशि भी भू-स्वामी के खाते में डाली जायेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा दी गई शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **Dolomite-16,854 tonne per annum and Saleable Waste-6360 Cub per annum.**
2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.20 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.76 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पंचायत अंतर्गत आंगनवाड़ी की मरम्मत साथ ही साथ पुताई करवाई जावेगी ।	15,000/-
ग्राम मालहन के आंगनवाड़ी में स्थित हैंडपंप को मरम्मत करवाने साथ ही साथ कांक्रिटिंग करवा कर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट की व्यवस्था करवाई जावेगी ।	40,000/-
मालहन के गाँव वासियों के लिए रोगी कल्याण समिति एवं सरंचना विकास के लिए एवं पशु स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से टीकाकरण के लिए ग्राम पंचायत के खाते में 3 माह के अंदर ट्रांसफर कर दिया जावेगा	45,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन के अंतर्गत	कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, चिरोलआदि।	610
2	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन के अंतर्गतप्रतिपूरक वृक्षारोपण	कुसुममहुआ	160
3	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंजआदि।	360
4	शासकीय प्राथमिक शालाग्राममालहनमेंपौधारोपण	पुत्रंजीवाए मोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि	50
5	आंगनवाड़ीग्राममालहनमेंपौधारोपण	पुत्रंजीवाए मोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि	20
6	ग्रामपंचायतभवनमानपुर मेंपौधारोपण	कदम्ब, अमलतास, नीम, पुत्रंजीवाए गुलमोहर,मोलश्री, पाखड़ अन्य स्थानीय प्रजातिया ।	100
7	पास के गांवमेंपौधेकावितरण	आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	2900
कुल			4200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No 9285/2022 Shri Ashutosh Mishra S/o Shri Krishna Prasad Mishra, 138/41A, 31/2A Tilak Nagar, Allapur, Dist. Allahabad, UP Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.0 ha. (19000 cum per annum) (Khasra No. 19, 86) Village - Harraha, Tehsil - Mahuganj, Dist. Rewa, (MP).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04 / 10 / 2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री Ashutosh Mishra एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Ashutosh Mishra, lessee, 138/41A, 31/2A, Tilak Nagar Allapur, Allahabad, Uttar Pradesh

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	19 & 86 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village.-Harraha, Tehsil- Mahuganj, District- Rewa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 5553 दिनांक 25/04/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
टॉर	समिति की पूर्व की 594वीं बैठक दिनांक 21/09/22 को उत्पादन क्षमता 19000 cum per annum के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-19,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-19,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2217 दिनांक 13/06/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.853 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2217 दिनांक 13/06/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं और खदान से वन क्षेत्र की दूरी 142 मीटर होने के कारण संभागीय आयुक्त समिति से बैठक दिनांक 29/12/21 में अनुमति प्राप्त है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2217 दिनांक 13/06/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हर्रहा जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14/04/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed -08 Tree Felling - No	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड- 194 मीटर	
	दक्षिण पश्चिम दिशा - कच्चे घर -40 मीटर	
	पश्चिम दिशा- पक्का रोड- 270 मीटर	

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई के दौरान जल छिडकाव एवं रोजगार वृक्षारोपण जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-71 के सरल क्रमांक-3 पर दर्ज है ।

खनि पट्टे के दक्षिण-पश्चिम दिशा में इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि में निजी भूमि में लगभग 40 मी., 65 मी. , 66 मी., 102 मी. एवं 123 मी. पर कुछ कच्चे घर ग्रामवासियों द्वारा बनाये गए हैं जो की पशुओ का चारा एवं कृषि सम्बन्धी यन्त्र रखने हेतु बनाये गए हैं, मौका मुआयना करने के पश्चात यह पाया गया की उत्खनिपट्टे से वर्तमान वास्तविक मानव बसाहट 200 मीटर से बाहर है एवं उत्खनिपट्टे के 200 मीटर की परिधि में परिलक्षित हो रहे कच्चे घर किसी तरह के रहवास हेतु इस्तेमाल नहीं किये जाते हैं एवं पट्टे के दक्षिणी दिशा में भी कुछ कच्चे घर हैं। यह कच्चे घर वर्तमान में किसी तरह के रहवास हेतु इस्तेमाल नहीं किये जाते हैं। यह किसी भी प्रकार की मानव रहवास हेतु इस्तेमाल नहीं किये जाते हैं ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-19,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 08.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.51 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम हरीहा के ग्रामीणों लिए रोगी कल्याण समिति व सरंचना विकास के लिए एवं पशु स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से टीकाकरण के लिए ग्राम पंचायत के खाते में 3 माह के अंदर फण्ड ट्रांसफर कर दिया जावेगा	30,000/
हरीहा ग्राम में स्थित माध्यमिक शासकीय शाला में एक कंप्यूटर , एक कंप्यूटर टेबल तथा	40,000/

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

एक प्रिंटर प्रदान किया जावेगा

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन के अंतर्गत	कालासिरिस, सफेदसिरिस, आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलए मुनगाहाइब्रिडए महुआअचारआदि	500
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैस:-करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, इत्यादि।	50
3	वन क्षेत्र की तरफवृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैस:-आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलएए अचारआदि	150
4	पास के गांवमेंपौधेकावितरण	आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलए मुनगाहाइब्रिडए अचारआदि	500
			कुल 1200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No 10605/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Ballor Sand Deposit in an area of 3.00 ha. (20800 cum per year) (Khasra No. 162), Village-Balor, Tehsil-Chicholi, District-Betul (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद कुमार धावई, कनिष्ठ प्रबंधक फील्ड एवं प्रभारी खनिज अधिकारी श्री बी. के. नागवंशी, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स ईको कंसल्टेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक-52 के सरल क्रमांक-30 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान मोरण्ड नदी पर ग्राम Ballor के निकट 3.00 हे. क्षेत्रफल पर 20800 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-20800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 03.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.65 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	15,000/-

- निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	750
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(750
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	1000
2	ग्राम बल्लोर के ग्रामवासियों में	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख	1100

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

	वितरण हेतु	रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी० से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।	
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।	
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।	
टीप :	वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।	

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No 10598/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Mathni Sand Mine in an area of 0.860 ha. (5670 cum per year) (Khasra No. 78), Village-Mathni, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद कुमार धावई, कनिष्ठ प्रबंधक फील्ड एवं प्रभारी खनिज अधिकारी श्री बी. के. नागवंशी, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक-52 के सरल क्रमांक-27 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान माचना नदी पर ग्राम Mathni के निकट 0.860 हे. क्षेत्रफल पर 5670 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खदान क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में 78 मी पर एक मेजर रोड ब्रिज है **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01कि.मी.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-5670 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 03.56 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.57 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.12 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	12,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1032 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट	250

**686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023**

	1 से 6 पंक्तियों में)	प्रति पौधा)	
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(250
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	232
2	ग्राम मथनी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	300
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन संबंधित विभाग से तकनीकी प्रतिवेदन सिया को प्राप्त होने पर, सिया द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

23. Case No 10601/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.) Prior Environment Clearance for Amoda River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 01, 11, 56), Village-Amoda, Tehsil-Damoh, District-Damoh (MP))

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी, जिला दमोह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला दमोह के अनुमोदित डी.एस.आर. के परिशिष्ट-2 सरल क्रमांक 02 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान कोपरा नदी पर ग्राम Amoda के निकट 05.00 हे. क्षेत्रफल पर 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मैप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 866 मी. पर मध्यम श्रेणी का ब्रिज है, तथा उत्तर दिशा में एक जल संवर्धन संरचना 415 मी पर है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी छोड़ने पर 2.19 माईनेबल एरिया शेष बचता है। अतः प्रस्तावित खनन योग्य शेष बचे क्षेत्र के अनुसार मात्र 1000घन मी. उपलब्ध होगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-1000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 03.39 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.57 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय इमलीजोग के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	10,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	200
2	ग्राम अमोदा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

24. Case No 10602/2023 - Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.) Prior Environment Clearance for Bari River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1200 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Bari, Tehsil-Damoh, District-Damoh (MP))

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी, जिला दमोह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला दमोह के अनुमोदित डी.एस.आर. के परिशिष्ट-2 सरल क्रमांक 02 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान कोपरा नदी पर ग्राम Bari के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 1200 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 53 मी. पर मध्यम श्रेणी का ब्रिज है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी छोड़ने पर 2.91 माईनेबल एरिया शेष बचता है। अतः प्रस्तावित खनन योग्य शेष बचे क्षेत्र के अनुसार मात्र 1200घन मी. उपलब्ध होगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-1200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.85 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.54 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय इमली जोग के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	10,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	200
2	ग्राम बरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

25. Case No 10600/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.) Prior Environment Clearance for Dandi River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (4500 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Dandi, Tehsil-Hatta, District-Damoh (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी, जिला दमोह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला दमोह के अनुमोदित डी.एस.आर के परिशिष्ट -2 के सरल क्रमांक 09 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान सुनार नदी पर ग्राम Dandi के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 4500 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मैप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 01 कि.मी की दूरी पर स्टाप डेम स्थित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित डीएसआर अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-4400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 01.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.43 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए डांडी शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांति हटा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	10,000

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	300
2	ग्राम डांडी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1700
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

26. **Case No. 10594/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Amadhana Rayyat-1 Sand Mine in an area of 0.170 ha. (2346 cum per year) (Khasra No. 79), Village-Amthana Ryt, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)**

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एवं श्री बी.के. नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 04/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक-52 के सरल क्रमांक-17 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

खदान लटिया नदी पर ग्राम Amadhana Rayyat-1 के निकट 0.170 हे. क्षेत्रफल पर 2346 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के खनन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व दिशा में 250 मी. पर छोटी जल संरचना स्थित है जो बहाव की दिशा में है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बैक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेट-2346 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेट खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.32 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.55 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	10,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 404 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	75
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(75
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	100
2	ग्राम मथनी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	154

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन संबंधित विभाग से तकनीकी प्रतिवेदन सिया को प्राप्त होने पर, सिया द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

27. Case No. 10599/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Vishnupur Sand Mine in an area of 3.00 ha. (27000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Bishnupur, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP).

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एवं श्री बी.के. नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 04/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक-51 के सरल क्रमांक-7 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान भडंगा नदी पर ग्राम Vishnupur के निकट 3.00 हे. क्षेत्रफल पर 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-27,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.32 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.55 लाख प्रति वर्ष।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	10,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 404 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	75
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(75
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	100
2	ग्राम मथनी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	154
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

28. Case No 10164/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Nigora & Godhan Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (90,000 cum per year) (Khasra No. 767, 1114), Village-Nigora-Godhan, Tehsil-Jaithari, District-Anuppur (MP)

सिया की 806 वीं बैठक दिनांक 21/09/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण में *गूगल इमेज के अनुसार खनन क्षेत्र से 86 मी मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने के पश्चात खनन क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः पुनः परिक्षण हेतु सेक को अग्रोषित किया जाये।*

प्रकरण का परिक्षण

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि यह खदान तिपान नदी में स्थित है खदान मे से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है तथा पूर्व दिशा में 86 मीटर पर रोड़ ब्रिज है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने/ रोड़ ब्रिज की वजह से सेटबेक छोड़ने के कारण 2.0 हे. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र एवं 3.0 हे. में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
- इस प्रकरण में खनन क्षेत्र में 86 मीटर पर रोड़ ब्रिज है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है।
- समिति ने पाया कि पूर्व प्रकरण के परिक्षण के दौरान जो ब्रिज की स्थिति फरवरी 2021 में थी, वह स्थिति आज भी परिलक्षित है। अतः पूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेत की मात्रा 67500 घनमीटर प्रति वर्ष की अनुशंसा की जाती है।
- समिति ने पाया कि पूर्व में इसी प्रकरण (क्रमांक 8020/2020) में दिनांक 09/02/2021 को रेत की मात्रा 65,000 घनमीटर प्रति वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति की जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 67500 घनमीटर प्रति वर्ष की मांग की है, एवं जो ब्रिज की स्थिति थी, वह स्थिति आज भी परिलक्षित है। अतः पूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेत की मात्रा 67500 घनमीटर प्रति वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

समिति ने पाया कि सेक की सेक की 671 वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी, अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक सेक की 671 वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

29. Case No 10153/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Bichhondanan Sand Quarry in an area of 1.64 ha. (8,474 cum per year) (Khasra No. 1282), Village-Bichhondna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

सिया की 806 वीं बैठक दिनांक 21/09/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण में गूगल इमेज के अनुसार खनन क्षेत्र से 390 मी स्टेट हाईवे मेजर ब्रिज परिलक्षित है। अतः **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने के पश्चात खनन क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः पुनः परिक्षण हेतु सेक को अग्रोषित किया जाये।

प्रकरण का परिक्षण

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग पानी डूबा है तथा 390 मीटर की दूरी पर एक रोड ब्रिज है ।
- प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण सिया से रिफरबैक होकर आया है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अनुरोध किया गया **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है।
- यह प्रकरण सिया की 604 वीं बैठक दिनांक 04/03/2020 में विचार में आया था पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के बिन्दु क्रमांक 02 पर डिया के पत्र क्रमांक क्यू/खनि/03-3/6 डिया/149/2018/187-11 दिनांक 20/09/2018 के द्वारा स्वीकृत हुआ था। सिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 6192/2020 पर विचार उपरांत पत्र दिनांक 09/03/2020 के माध्यम से कुल रेत उत्पादन मात्रा 13500 घन मीटर प्रतिवर्ष क्षमता हेतु मेसर्स के.पी.सिंह भदौरिया, जिला ग्वालियर को (उन्ही शर्तों एवं मात्रा 13500 घन मीटर) ई.सी ट्रांसफर की जा चुकी है।
- वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8474 घनमीटर प्रति वर्ष की मांग की है। खदान के परिप्रेक्ष्य में पूर्व स्वीकृत ई.सी. में ब्रिज की जो स्थिति थी, वह स्थिति आज भी परिलक्षित है। अतः समिति द्वारा समस्त बिन्दु पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पुनः विचार कर रेत की मात्रा 8474 घनमीटर प्रति वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

अतः समिति द्वारा सेक की बैठक क्रमांक 670 वीं बैठक दिनांक 23/08/2023 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया

30. Case No -10596/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kamta River Sand Mine in an area of 4.00 ha. 72,000 cum per year) (Khasra No. 685), Village-Kamta, Tehsil-Jaitpur, District-Shahdol (MP) [432407]

दिनांक 04/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Harishankar Shukla उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इन्वायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रभात पट्टा, खनिज निरीक्षक, शहडोल समिति के समक्ष उपस्थित थे। परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – शहडोल के अनुमोदित डी.एस.आर. के पृष्ठ क्रमांक 13 एवं सरल क्रमांक 32 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान कुनुक नदी पर ग्राम कामता के निकट 4.00 हे. क्षेत्रफल पर 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मैप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

प्रकरण का परिक्षण

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगभग .127 मी पर एक मेजर रोड ब्रिज है। **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है।
- समिति ने परिक्षण के दौरान यह भी पाया कि इस प्रकरण में गत वर्षों में खनन कार्य किया गया है इस संबंध में सिया द्वारा पूर्व में **प्रकरण क्रमांक 7699/2020**, पत्र क्रमांक 4493 दिनांक 27/10/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है इसकी समयावधि 30 जून 2023 को समाप्त हो चुकी है।
- चुकी इस प्रकरण में सिया द्वारा पूर्व में खनन कार्य हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी जिसमें रेत की मात्रा 39,600 घन मी. दी गई थी अतः समिति द्वारा उक्त मात्रा की सीमा तक समिति द्वारा खनन की अनुशंसा की जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई सभी बिन्दुओं पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया गया। जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 39,600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 03.22 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.37 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटड़ी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	75,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	400
2	ग्राम कामता के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4400
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र</p>			

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशांसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन संबंधित विभाग से तकनीकी प्रतिवेदन सिया को प्राप्त होने पर, सिया द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिये जाने की अनुशांसा की जाती है।

रेत खनन के प्रकरणों में ईसी की पूर्व एवं वर्तमान शर्तों के क्रियान्वयन एवं पालन पर अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे रेत खनन प्रकरणों में जिनमें राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा पर्यावरण स्वीकृति अनुशांसित की गई है, उन सभी प्रकरणों में निम्नानुसार विशिष्ट शर्त अधिरोपित की जाये:-

- विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी. सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- **As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.**
- **संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला, दमोह – रेत खनिज**
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी ने कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के पत्र क्रमांक 694 दिनांक 29/09/2023 के माध्यम से अवगत कराया कि जिला दमोह की 24 रेत खदानों के अक्षांश-देशांश के मिनट्स एवं सेकण्ड स्तर पर अंतर पाया गया एवं कुछ नवीन अक्षांश-देशांश में वृद्धि हुई है। उक्त संशोधनों के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाये गये क्षेत्र व संशोधित अक्षांश-देशांश के कारण नही के बराबर स्थल परिवर्तन हुआ है। सभी संवेदनशीलता का परीक्षण किया गया तथ जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन कराकर संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला, दमोह – रेत खनिज प्रस्तुत की जा रही है।

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 अक्टूबर 2023

समिति ने पाया कि खनिज अधिकारी के अनुसार रेत खनिज की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला, दमोह की 24 रेत खदानों के अक्षांश-देशांश के मिनट्स एवं सेकण्ड स्तर पर अंतर पाया गया एवं कुछ नवीन अक्षांश-देशांश में वृद्धि हुई है, तथा संदर्भित पत्र में जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन कराने का भी उल्लेख किया गया है।

समिति द्वारा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट –जिला दमोह (रेत खनिज) की वास्तविक जानकारी को मान्य करते हुए अनुमोदन हेतु सिया को अनुशंसा की जाती है ।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 04 अक्टूबर 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 04 अक्टूबर 2023

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर 2023

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yeears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 04 अक्टूबर 2023

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्विंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

686वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 04 अक्टूबर 2023

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतुर्दम ठतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।